मानव अधिकार एवं आतंकवाद

डॉ. संजय कुमार,
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र
राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू (राज.)

सारांश –

आतंकवाद वर्तमान की ही समस्या नहीं है, अपितु इसके बीज तो हिंसा के रुप में हजारों वर्ष पहले से ही विद्यमान थे। दूसरों को दुःख दर्द देना, पीड़ा आदि पहुंचाने का कृत्य हिंसा है। प्राचीन समय में भी चोर के हाथ कटवाना, जबरदस्ती अपनी बात मनवाना, लूट–पाट करना, युद्ध करना, अत्याचार आदि सभी हिंसा के ही पर्याय हैं। एक तरफ राम–राज्य जैसी व्यवस्था तो दूसरी ओर ताड़का जैसी असुर प्रवृत्तियां, रावण द्वारा सीता का अपहरण, निरंकुश शासनाध्यक्षों के कारनामें जैसे– सम्राट अशोक द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति (युद्ध नीति) आदि में निर्दोष और भोले–भाले लोग और सामान्य जनता इसकी शिकार होती थी। ये सब किसी न किसी रुप में हिंसा के ही प्रतिरुप थे जो आज आतंकवाद के रुप में हमें दिखाई देता है। अर्थात् आतंकवाद की उत्पत्ति को हिंसा के रुप में देखा है क्योंकि आतंकवाद की आधारशिला हिंसा है। हिंसा का मूल मानव मन है। हिंसा की मनोवृत्ति ही हिंसा को जन्म देती है। हिंसा आतंकवाद की जननी है। अर्थात् आतंकवाद को हिंसा से अलग करना बेमानी होगी। इसी तरह से आतंकवाद एक आपराधिक मनोवृत्ति है तथा इसे मनोविज्ञान से अलग करके देखना गलत होगा।

शब्द संकेत –

आतंकवाद, जिहाद, आत्मनिर्णय, मानवाधिकार, अनुज्ञेय।

विषय–विस्तार –

सर्वप्रथम ''आतंकवाद'' शब्द का उपयोग जैकोबिन क्लब की गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किया गया था। **रॉबर्ड फीडलेण्टर** की मान्यता है कि **''आतंकवाद''** शब्द फ्रांस की क्रांति और **जैकोबिन्स** की तानाशाही से सम्बन्धित है। फ्रांस की क्रांति के समय जैकोबिन रेन ऑफ टेरर (Raign of Terror) के नाम से जाना जाता था। अर्थात् उस समय शासन के लोगों के द्वारा अत्यधिक हिंसा की

जाती थी और निर्दोष लोगों को मारा जाता था। इसकी गतिविधियों की व्यवस्था के लिए आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया था।

''धार्मिक आतंकवाद'' इजराइल के एक संगठन ''हागानाह'' जिसकी स्थापना 1920 में हो गई थी। इस संगठन को आतंकवाद का पितृ–सत्तात्मक संगठन माना जा सकता है।

आतंकवाद शब्द का प्रयोग ब्रेसेल्स में दण्ड–विधान को समेकित करने हेतु सर्वप्रथम 1931 में बुलाए गए तीसरे सम्मेलन में किया गया था।

आतंकवाद का अर्थ–

आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की क्रिया (Verb) Terror (टेरर) से हुई है जिसका अर्थ है– To Frighten (डराना)। इस शब्द से उत्पन्न शब्द "Terrorism" (आतंकवाद) है, जिसका अर्थ ऐसा सिद्धान्त है जो भय और हिंसा पर आधारित हो।

आतंकवाद के अनेक शब्दार्थ हैं जैसे– उग्रवाद, विद्रोह, क्रांति, छापामार युद्ध, आंतरिक युद्ध आदि। हिंसा को आतंकवाद के अर्थ के रुप में प्रयोग किया जाता है।

आतंकवाद की परिभाषा–

एक ऐसे तरीके या विधि को आतंकवाद कहा जाता है जिसमें कोई संगठित समूह योजनाबद्ध रूप में हिसांत्मक क्रियाओं के प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति, समुदाय या उसके किसी एक वृहत भाग को भयभीत कर अपने वांछित सामुहिक उद्धेश्यों को प्राप्त करता है।

एस. के. घोष के अनुसार ''आतंकवाद हत्याओं तथा विध्वंसकारी गतिविधियों का एक व्यवस्थित प्रयोग है, जो समुदायों अथवा सरकारों को भयभीत कर राजनैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। यद्यपि कोई भी परिभाषा अपने में परिपूर्ण नहीं मानी जा सकती है फिर भी आतंकवाद के कुछ सामान्य पक्ष हैं जो प्रत्येक दशा में समान रहते हैं।''[1]

एच. बी. मिश्रा के अनुसार ''आतंकवाद एक प्रकार का हिंसात्मक कृत्य है जो सैद्धान्तिक रूप से अनैतिक तथा अमानवीय है। यह अवसर पिछड़ी हुई शक्ति द्वारा

प्रयोग किया जाता है जो अपने आतंकवादी कृत्यों को अपने समर्थकों के हितों के पदरों से ढकते हैं।''[2]

संयुक्त राज्य रक्षा विभाग ने आतंकवाद को ''प्रायः राजनीतिक, धार्मिक अथवा वैचारिक उदेश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अथवा समाज को अवपीड़ित या भयभीत करने हेतु व्यक्तियों अथवा सम्पति के विरूद्व बल अथवा हिंसा का गैर–कानूनी अथवा धमकी भरे प्रयोग'' के रूप में परिभाषित किया है।

फिर भी, आतंकवाद की उपर्युक्त परिभाषाएं सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं कही जा सकती। अनेक अवसरों पर किसी राज्य की सरकार किसी विशेष कृत्य को इसलिए आतंकवाद कृत्य मान लेती है क्योंकि यह उसके हित को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने लगता है, तब उस कृत्य को उन व्यक्तियों द्वारा न्यायोचित ठहराया जाता है जो कृत्यों को कारित करते हैं और विशेष रूप से उन मामलों में जहां ये कृत्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों द्वारा या उन लोगों द्वारा कारित किये जाते हैं जो आत्मनिर्णय (Self Determination) के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए किये गये संघर्ष करते हों। जैसा कि जिन हिंसात्मक गतिविधियों को पश्चिमी राष्ट्र आतंकवाद कहते हैं उन्हें उनके समर्थक ''जिहाद'', ''स्वत़ंत्रता की लड़ाई'', ''उत्पीड़न व शोषण के विरूद्व संघर्ष'' कहते हैं।

इस प्रकार से आतंकवाद के विधिमान्य और अविधिमान्य प्रयोग तथा सही तरीके से की गई लड़ाई के बीच सीमा रेखा खींचना बहुत कठिन हैं। ''किसी एक व्यक्ति के लिए जो आतंकवादी है वही दूसरे व्यक्ति के लिए स्वत़ंत्रता संग्राम सेनानी (One person's Terrorist is another person's freedom fighters) होता है। इस कहावत ने आतंकवाद की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किसी परिभाषा की रचना को कठिन बना दिया हैं।[3]

आतंकवाद के प्रकार –

आतंकवाद के दो प्रकार हैं– अन्तर–राज्यीय आतंकवाद तथा अन्तर–राष्ट्रीय आतंकवाद। आतंकवाद या तो राज्यिक या आन्तरिक (domestic) हो सकता है या अन्तर्राष्ट्रीय। अन्तराष्ट्रीय आतंकवाद में वे कृत्य सम्मिलित होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक राज्य शामिल होते हैं अर्थात् जहां पर अपराध कारित करने वाले एवं पीड़ित व्यक्ति भिन्न–भिन्न राज्यों के नागरिक होते हैं या जहां पर उक्त कृत्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप में एक राज्य से अधिक राज्यों में पूरे किये जाते हैं। इसका

तात्पर्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तब होता है, जब एक से अधिक राज्यों का हित प्रभावित होता है। किन्तु राज्यिक अथवा आन्तरिक आतंकवाद किसी राज्य की सीमाओं तक ही सीमित होता है। राज्य देशी आतंकवाद को उनकी इाण्डिक विधि का उल्लंघन मानते हैं और इसीलिए अपनी देशीय विधि के प्रयोग करने में नहीं हिचकते। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद, चाहे वह राज्यिक हो या अन्तर्राष्ट्रीय एक दाण्डिक अपराध है।

आतंकवाद के प्रमुख उद्देश्य–

1. अपने उद्देश्य व आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करना।
2. धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण और सार्वजनिक सम्पत्ति को अन्धाधुन्ध नष्ट करके सरकार या शासन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना।
3. शासन या सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास करना व अपने कारनामों को अंजाम देना।
4. देश में सुरक्षा, शांति व अखण्डता के लिए हर संभव खतरा उत्पन्न करना ताकि देश में भय, आतंक व असुरक्षा का वातावरण बना रहे।
5. देश में अलगाववादी शक्तियों को भड़काना ताकि सरकार व जनता का सिरदर्द बने रहे।
6. विरोधियों और मुखबिरों को किसी भी कीमत पर सहन या क्षमा न करना और उन्हे खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

आतंकवाद : एक जटिल समस्या–

आतंकवाद मानवता का कठोर दुश्मन है, जिसमें मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है। संपूर्ण संसार में आतंकवाद का अघोषित युद्ध जारी है। आतंकवादी विघटनकारी समाज विरोधी लोगों का एक हिंसात्मक अभियान है जो संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आज सम्पूर्ण मानवता का अस्तित्व खतरे में हैं। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसका न कोई राष्ट्र होता है, न कोई समाज, न कोई धर्म। यह तो केवल एक राक्षसी प्रवृत्ति है जिसके निशाना बनते हैं निर्दोष व भोले–भाले लोग, जिनका कोई दोष नहीं होता है।

आज आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्याओं में से एक है। पिछले दो–ढाई दशकों से भारत सहित दुनिया के अन्य देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं परन्तु यह समस्या दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण हैः कुछ लोगों की विकृत मानसिकता। भारत आरम्भ से ही आतंकवादियों के निशाने पर है। सन् 2008 का ''मुंबई आतंकी हमला'' इसका ज्वलंत प्रमाण है। मुंबई में उससे पूर्व भी कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं। भारत के लोकतंत्र पर आघात करने के उद्देश्य से ''संसद भवन'' को भी निशाना बनाया गया था जिसे देश के रक्षकों ने विफल कर दिया। कश्मीर में तो आतंकवादियों का घृणित कृत्य दशकों से जारी है। इन सभी आतंकी घटनाओं को एक सुनियोजित षडयंत्र के अधीन अंजाम दिया गया है जिसका केन्द्र भारत के पड़ौसी देश पाकिस्तान में हैं। उसकी शाखाएं अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि विभिन्न देशों में फैली हुई है। आतंकवाद के राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य पहलू भी हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है।

दुनिया के अधिकांश देश आतंकवाद को एक गंभीर समस्या मानते हैं, इसकी निन्दा करते हैं तथा समस्या के समाधान के लिए एक–दूसरे को सहयोग भी प्रदान करते हैं। इस समस्या को हल करना आसान नही है परंतु आपसी सहयोग, गुप्त सूचनाओं का आदान–प्रदान, आम लोगों की जागरुकता तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति के बलबूते इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, तीर्थों, दर्शनीय स्थानों, महत्वपूर्ण इमारतों आदि में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि रणभूमि में लड़ने वाली सेना भी ज्यादा चुनौति इन आतंकवादियों का सामना करने में हैं क्योंकि आतंकवादी आमने–सामने वार नहीं करते हैं, वे चुपके से पीछे से वार करते हैं। अपनी जान की परवाह भी नही करते हैं।

आतंकवाद आज विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकवाद को समाप्त करना अकेले भारत के बस में नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का भी महत्व है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय समस्या की गंभीरता को समझकर खुला एवं उदार दृष्टिकोण अपनाएं तथा इसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करें।

आतंकवाद एवं मानवाधिकार –

ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवाद एवं मानवाधिकार उल्लंघन के बीच एक अटूट सम्बन्ध हैं। आतंकवाद मानवाधिकारों की अवधारणा के लिए खतरा है और यह संयुक्त राष्ट्र के गठन को तथा व्यक्तियों के जीवन एवं गरिमा को निर्मूल कर

देता है। यह दुर्भाग्य है कि मानवाधिकारों की अवधारणा को आतंकवाद के संदर्भ में मानवाधिकार निकायों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया गया, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की आम समस्या पर महासभा ने 1972 से ही निर्दोष लोगों के जीवन हेतु खतरा और उनके प्राण लेने वाले अथवा मूलभूत स्वतंत्रताओं को परिसंकट में डालने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के उपायों पर विचार करना प्राारम्भ कर दिया था और आतंकवाद के उन रूपों एवं हिंसा के कृत्यों का अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया था जो दुःख, निराशा, क्षोभ एवं हतोत्साह उत्पन्न करते हैं। मानवाधिकार विश्व सम्मेलन (वियना) के बाद 1993 में तीसरी समिति की अनुशंसा पर महासभा ने मानवाधिकार एवं आतंकवाद पर संकल्प अंगीकार करना प्रारम्भ किया। मानवाधिकार एवं आतंकवाद पर महासभा द्वारा अंगीकृत संकल्पों में यह कहा गया है कि आतंकवाद से एक ऐसे वातावरण का सृजन होता है जो लोगों की भय से स्वतंत्रता को समाप्त करता है। संकल्पों में यह भी कहा गया है कि आतंकवाद के सभी कृत्यों, तरीकों एवं अभ्यासों को मानव अधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रताओं और लोकतंत्र के विनाश को लक्षित करके किये गये कृत्यों की भर्त्सना की जानी चाहिये। यह भी संदर्भित किया गया कि आतंकवाद ने आतंकवादी समूहों द्वारा कारित मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघनों का सृजन किया है। सुरक्षा परिषद ने अपने संकल्प 1377 जो 12 नवम्बर, 2001 को अंगीकार किया गया उसमें यह उद्घोषणा की गई कि आतंकवाद ''21वीं सदी में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को गम्भीर खतरा'' तथा ''समस्त देशों एवं मानवता को एक चुनौती है।''

मानव अधिकार और आतंकवाद

मानवाधिकार एवं आतंकवाद पर महासभा द्वारा अंगीकृत संकल्पों में यह कहा गया है कि आतंकवाद से एक ऐसे वातावरण का सृजन होता है जो लोगों की भय से स्वतंत्रता को खत्म करना है। संकल्पों में यह भी कहा गया है कि आतंकवाद के सभी कृत्यों, तरीकों एवं अभ्यासों को मानव अधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रताओं एवं लोकतंत्र के विनाश को लक्षित करके किये गये कृत्यों की भर्त्सना की जानी चाहिये। यह भी संदर्भित किया गया कि आतंकवाद ने आतंकवादी समूहों द्वारा कारित मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघनों का सृजन किया है। फिर भी कतिपय ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे– कौनसे कृत्य अथवा हिंसा आतंकवाद का सृजन करते हैं, आतंकवाद के कृत्य कब मानव अधिकारों के उल्लंघन को अंतर्ग्रस्त करते हैं या

आतंकवाद एवं गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के बीच तथा स्वतंत्रता सेनानियों एवं विशुद्ध आतंकवादियों के बीच कौन सी विभाजक रेखा है– की विवेचना की गयी है।

आतंकवादी और मानव अधिकार (Terrorists and Human Rights)

आलोच्य प्रश्न से यह उद्भूत होता है कि क्या आतंकवादियों को मानव अधिकार प्रदान किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या सरकार का यह बाध्यकारी कर्त्तव्य है कि वह आतंकवादियों को वे सब अधिकार प्रदान करें जो राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले अन्य नागरिकों को प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त सम्बन्ध पर दो मत हैं।

पहला मत यह है कि मानवाधिकार सभी मानव प्राणियों में अंतर्निहित होते हैं। उन्हें अपनी गरिमा बनाये रखने के लिए मानव अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं और इसीलिए राज्यों की यह बाध्यता होती है कि वे सभी व्यक्तियों को उनके कृत्यों पर बिना ध्यान दिये हुए मानवाधिकार प्रदान करें। व्यक्तियों को मानव अधिकार प्रदान करना राज्य की एक बाध्यता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट रूप से अधिकथित किया गया है कि सभी व्यक्ति गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान पैदा हुये हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि सभी व्यक्ति घोषणा में उल्लिखित सभी अधिकारों को बिना मूलवंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक अथवा अन्य विचार राष्ट्रीय अथवा सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति, जन्म अथवा अन्य प्रास्थिति को धारण करेंगे। सभी व्यक्तियों (every one) शब्दों से इस बात का सम्बोधन होता है कि किसी भी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित नहीं रखा जायेगा। केवल आपात काल (emergency) में कुछ अधिकारों को निलम्बित किया जा सकता है। आपात काल में राज्यों को सिविल एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा के परिच्छेद 5 के अंतर्गत प्रावधानित रूप में कतिपय मानवाधिकारों को निलम्बित करने की स्वीकृति देता है किन्तु निर्बन्धनों का प्रयोग केवल विधि द्वारा ही किया जाना चाहिये और निर्बन्धनों का प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उनको बनाया गया हो। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में आतंकवादियों के सम्बन्ध में राज्य की बाध्यता को कम करने के लिये कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। महासभा ने 12 दिसम्बर, 1997 को एक सकंल्प पारित कर राज्यों से आतंकवाद को समाप्त करने के लिये आवश्यक और

प्रभावी उपायों को करने के लिए कहा है परन्तु वे उपाय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप होने चाहिये।[4]

महासभा ने 18 दिसम्बर, 2002 को एक संकल्प पारित कर यह पुनः दोहराया कि राज्यों को आश्वस्त होना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों शरणार्थी एवं मानवीय विधि के अन्तर्गत अपनी बाध्यताओं के अनुपालन में आतंकवाद से लड़ाई करना है। इस प्रकार से इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रति–आतंकवाद (Counter terrorism) की कार्यवाही में मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिये। आतंकवाद के विरुद्ध लडाई में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना चाहिये। भारत के उच्चतम न्यायालय ने पी. यू. सी. एल. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया[5] में यह कथित किया है कि आतंकवाद की रोकथाम में मानवाधिकारों का एवं संवर्धन एवं संरक्षण नितान्त आवश्यक है। यदि आतंकवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो प्रक्रिया स्वयं में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप नहीं होगी।

दूसरा मत यह है कि आतंकवादी अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इसीलिए उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये तथा उन्हें कोई मानवाधिकार प्राप्त नहीं होता है। वस्तुतः, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की राजनैतिक सहानुभूति अथवा राष्ट्रीयता पर बिना ध्यान दिये दण्डित किया जाना चाहिए। आतंकवादी कृत्यों को कारित करने वाले लोग अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इसीलिए वे अपने स्वयं के मानवाधिकारों से वंचित हो जाते हैं।[6] इस प्रकार के दृष्टिकोण के अनुसार, आतंकवादी अपने मानव अधिकार इस आधार पर खो देते हैं कि उन्होंने दूसरे व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है।

उपर्युक्त दृष्टिकोण एक–दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ प्रथम दृष्टिकोण आतंकवादियों का पक्ष लेता है और परिणामस्वरूप सरकार के विरुद्ध है, वहीं दूसरा दृष्टिकोण सरकार का पक्ष लेता है। जहाँ प्रथम दृष्टिकोण इस अर्थ में आधुनिक है कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में मानव अधिकार विधि में विकास होने के कारण सरकार के व्यवहार पर सीमायें अधिरोपित की गयी हैं; वहीं दूसरे दृष्टिकोण को इस अर्थ में परम्परागत माना जाता है कि मानव अधिकारों का संरक्षण या उल्लंघन स्वयं राज्यों द्वारा किया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि आतंकवादियों को मानव अधिकार प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करते समय पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के अतिरिक्त उनके कृत्य से पीड़ित व्यक्तियों पर, समाज और राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समाज का कल्याण एवं हित तथा राज्य की सुरक्षा आतंकवादियों को मानवाधिकार प्रदान करने के निर्धारण में योगदान देते हैं। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करना, सम्पत्ति को नष्ट करना और भय एवं आतंक का वातावरण बनाये रखना न केवल पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है बल्कि इससे समाज एवं राज्य को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। राज्य के वे प्राधिकारीगण जो आतंकवादी हिंसा को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, को यह अधिकार है कि वे आतंकवाद के प्रत्युत्तर में उपाय अपनायें। उन्हें साधारण अपराधों के निवारणार्थ शासकीय उपायों की साधारण सीमाओं के अपनाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। उनका विचारण कैमरा में किया जा सकता। उनके विचारण के अधिकार में प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है तथा उन्हें अधिक समय के लिये गिरफ्तार या निरोध में रक्खा जा सकता। निःसंदेह, इस प्रकार के मामलों में, आतंकवादियों के मानवाधिकारों का दमन एवं उल्लंघन होगा किन्तु इस प्रकार के कृत्य न्यायपूर्ण होंगे क्योंकि ये राज्य एवं समाज के व्यापक हित में अपनाये जाते हैं। आतंकवाद समाज तथा उन संस्थाओं के विरुद्ध एक हमला है जो नागरिकों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का संरक्षण करती हैं। शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं सहयोग बनाये रखने के लिए इसका नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है।

आतंकवादियों को दण्ड देना कोई नई प्रक्रिया नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने वायुयान अपहरण (Aircraft hijacking), बंधक बनाना (Taking of Hostages), अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियो के विरुद्ध कार्य (Acts Against Internationally Protected Persons) के निवारण एवं दण्ड जैसे आतंकवाद के विनिर्दिष्ट मामलों के साथ बहुत से अभिसमयों को अंगीकार किया है। वे सभी आतंकवाद विरोधी अभिसमय हैं और वे या तो प्रत्यर्पण का प्रावधान करते हैं या फिर अभियोजन का, ताकि आतंकवादी को दण्डित किया जा सके। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रीय अभिसमय भी इस अर्थ में आतंकवाद विरोधी है तथा 'प्रत्यर्पण या अभियोजन' के सिद्धान्त का प्रावधान करते हैं जो 'aut dedere aut puniare' के सूक्ति के नाम से जाना जाता है।

इस प्रकार से आतंकवाद के कृत्य करने वालों के मानवाधिकारों का अल्पीकरण उनके द्वारा किये गये कृत्यों और उससे उत्पन्न खतरों के अनुपात में स्वीकार्य है।

ऐसे आतंकवादी जो निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे सजा के लिए अवश्य उत्तरदायी हैं किन्तु विधि द्वारा अनुज्ञेय तरीकों के अतिरिक्त मानवाधिकारों की हिंसा को न्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। यदि ऐसी घटनाओं के पुनः दुहराये जाने का खतरा है तो मानवाधिकारों का अवमूल्यन अनुज्ञेय है। यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि को जैसे सशस्त्र संघर्षों में प्रयोग किया जाता है उस तरह से आतंकवादियों के साथ लागू नहीं किया जाता क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि सशस्त्र संघर्ष के समय या युद्ध के समय लागू की जाती है जबकि आतंकवाद की घटना अधिकांशतः शान्ति के समय घटित होती है।

उन मामलों में, जहाँ आतंकवादियों के कृत्यों से समाज एवं राज्य के हित प्रभावित नहीं होते हैं, उनसे भिन्न व्यवहार किया जाना अपेक्षित है। उनके अपराधों को सामान्य अपराधों जैसा नहीं समझा जाना चाहिए और इसीलिए उनके अधिकारों का उल्लंघन राज्यों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आतंकवादियों के मानव अधिकारों को प्रदान करना उनके कृत्यों की कठोरता तथा समाज एवं राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करती है। बेकर एन्दिये, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के न्यूयार्क कार्यालय के निदेशक ने उचित रूप से अधिकथित किया है[7] कि कुछ देशों में अहिंसक क्रियाकलापों को आंतकवाद माना जाता है और व्यक्तिगत अधिकारों, जिनमें निर्दोष होने की उपधारणा शामिल है, निष्पक्ष विचारण के अधिकार, प्रताड़ना से स्वतंत्रता, एकान्तता का अधिकार, अभिव्यक्ति और संगम की स्वतंत्रता और आश्रय की ईप्सा करने के अधिकार का दमन करने को निर्बन्धित करने को आधिक्य उपाय माना गया है। यह अवांछित है और सिविल अधिकारों के अवांछित उल्लंघन को निर्दिष्ट कर सकता है और इसलिए, आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक प्रयास के ऐसे आशयित और अवांछनीय परिणाम को प्रवर्जित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष–

मानवाधिकार प्रत्येक मामले में तथा सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षति को न्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे आतंकवादी जो निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे सजा के लिए अवश्य भागीदार हैं किन्तु

विधि द्वारा अनुज्ञेय तरीकों के अतिरिक्त मानवाधिकारों की हिंसा को न्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। यदि ऐसी घटनाओं के पुनः दोहराये जाने का खतरा है तो मानवाधिकारो का अवमूल्यन अनुज्ञेय होना चाहिये। फिर भी, राज्यों को आतंकवादी मानक तथा मानवाधिकारों के मध्य सन्तुलन बनाये रखने की आवश्यकता है।

अन्त में, सभी आतंकवादियों के साथ न तो एक ही समान व्यवहार अपेक्षित है और न ही उनके मानव अधिकारो का उल्लंघन। यह अपेक्षित है कि राज्यों द्वारा आतंकवादी कृत्यों के कारित होने के समय ही विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार उनके मानव अधिकारों के संरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए।

साहित्य का अवलोकन

- **गस मार्टिन** ने अपनी पुस्तक ''आतंकवाद को समझना, चुनौतियां, दृष्टिकोण और मुद्दों'' में आतंकवादी घटनाओं में आतंकवाद का आंकलन करने की जरुरत है। विकसित समकालीन आतंकवाद के इन दोनो क्षत्रों में व्यापक खोज प्रदान करता है। पांचवे संस्करण में गस मार्टिन ने आतंकवादी घटनाओं पर नई जानकारियों के साथ अध्ययन किया गया है। आतंकवादी वातावरण विकसित हो रहा है और उभरते आतंकवाद और सुरक्षा के दृष्टिकोणों को बताया है। लेखक गस मार्टिन दोनो अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू चुनौतियों और विकल्पों में से विचार विमर्श के साथ दुनिया भर में हिंसक उग्रवाद के ताजा विश्लेषण को बताता है। ध्यान केंद्रित चर्चाएं, समकालीन खतरों, नए आंदोलनों और प्रवृत्तियों और इन स्थितियों के लिए प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता प्रदान की जाती है तथा नीतिगत विकल्पों के प्रभावों को अन्तर्राष्ट्रीय खतरों के परिदृश्यों के साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा और चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं सहित घरेलु परिदृश्यों के संदर्भों के भीतर की चर्चा इस पुस्तक में की गई है।
- **डॉ. विरेन्द्र सिंह यादव** द्वारा रचित पुस्तक, ''आतंकवाद का समकालीन परिदृश्य : स्वरूप एवं समस्याऐं'' में आज संपूर्ण विश्व को एक गम्भीर चुनौति पेश करने वाली सर्वाधिक घातक समस्या है, आतंकवाद है। बदलते परिदृश्य में आतंकवाद के विविध मुखौटों को वस्तुपरकता एवं विषयपरकता की दृष्टि से सम्पादित पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को

प्रभावित करने वाली समकालीन समस्या आतंकवाद के विरूद्ध विश्व के प्रमुख देशों को ईमानदार लड़ाई लड़नी चाहिए। यह समस्या अनवरत महाविनाशकारी और भयंकर रूप से क्रूर होती जा रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हिन्दू और मुस्लिम समुदायों में व्यापक सहमति बनायी जाए क्योंकि आतंकी मात्र आतंकी है, वह न हिन्दू है न मुसलमान। आज इस बात की आवश्यकता है कि आपसी तनाव कम कर आतंकवाद को रोकने का प्रबल प्रयास किया जाए। एकजुटता ऐसी हो जिससे आतंकवादियों को ही नहीं वरन् उनके समर्थकों एवं संरक्षणदाताओं को बेपर्दा किया जा सके।

- **यासिर हुसैन** द्वारा रचित पुस्तक ''आतंकवाद के खिलाफ भारत का अंतहीन युद्ध'' में भारत के संदर्भ में आतंकवाद के मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रयास करता है। देश में आतंकवाद की एक सिंहावलोकन पेश करते हुए यह लम्बाई में भारत, अलकायदा, आतंकवाद और तरीकों से निपटने की दिशा में भारतीय नीति के निर्माण में अमेरिका की भूमिका में आतंकवाद इंधन भरने में, प्रमुख आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका की चर्चा है। सशस्त्रबलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे के रुप में अच्छी तरह से आतंकवाद से निपट सकते हैं।

- **वन्दना अस्थाना** ने अपनी पुस्तक ''भारत में सीमा पार से आतंकवाद'': आतंकवाद रणनीतियां और चुनौतियां'' (जून 2010) में समकालीन आतंकवाद का तेजी से विनाशकारी क्षमता के साथ पूरी तरह से वैश्विक घटना के रुप में उभरा है। यह भारत में आतंकवाद का मूल है, पड़ौसी देश पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर देश की प्रतिद्वन्द्विता के विशेष संदर्भ में बताते हैं।

आगे लेखक ने भारत में चालू आतंकवाद का मुकाबला करने की रणनीतियों में कमियों को दिखाया है। मौजूदा संघीय और राज्य की नीति के दृष्टिकोण, बुनियादी सुविधाओं और खूफिया और सुरक्षा एजेंसी समन्वय का परीक्षण किया गया है किसी तरह से अधिक प्रभावी ढंग से सीमा पार आतंक का मुकाबला करने में भारत की संस्थागत क्षमताओं, अन्तर एजेंसी समन्वय व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार के लिए सिफारिशों के साथ समाप्त होती है।

- **मनोहर लाल बाथम एवं शिवचरण विश्वकर्मा** ने अपनी पुस्तक ''आतंकवाद चुनौती और संघर्ष'' में आतंकवाद पूरे विश्व में चाहे विकसित या अविकसित देशों में सभी जगह किसी न किसी रुप में अपना जाल फैला रहा है। भारत में भी आतंकवाद फैल रहा है। मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। इस पुस्तक में आतंकवाद के हर पहलू को बताने का प्रयास किया गया है। आतंकवाद की उत्पत्ति एवं इतिहास, आतंकवाद की परिभाषा, विशेषताएं, कारण, भेद, स्वरुप, आतंकवाद का वर्तमान स्वरुप व प्रवृत्तियां तथा आतंकवाद, प्रतिवाद की जरुरत आदि। श्री मनोहरलाल बाथम व उनके मित्र ने इस पुस्तक में आतंकवाद से संबन्धित हर पहलु को बताने की कोशिश की है।

सन्दर्भ सूची –

1 एस. के. घोष, ''टेररिज्म वर्ल्ड अंडर सीज'', आशीष पब्लि. हाउस, नई दिल्ली, 1995 में।

2 एच. बी. मिश्रा, ''आंतकवाद शांति के लिए खतरा और सद्भाव'', लेखक प्रेस, नई दिल्ली, 1999 में।

3 वी. लेक्वियर, का प्रोद्धरण मर्फी जे. एफ. के 'डिफाइनिंग इण्टरनेशनल टेररिज्म : 'ए वे आउट ऑफ दिगागमायर', इजरायल एयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स', वाल्यूम 19, 1989, पृ. 13

4 महासभा संकल्प, 52/133, दिनांक 12 दिसम्बर, 1977

5 2004 एस. सी. सी. (9) 580

6 जे. एन. सक्सेना, 'इण्टरनेशनल टेररिज्म स्टेट टेरर एण्ड ह्यूमन राइट्स इन टेररिज्म एण्ड इण्टरनेशनल 'लाज', आर. पी. ठकोलिया एवं के. नारायण राव (1988) द्वारा सम्पादित, पृ. 46

7 संकल्प संख्या 1373 (2001), दिनांक 28 सितम्बर, 2001